10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(111)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

प्रकरण निगरानी क्र......./ R-3700-III/14

मोहन आ.मंगल सिंह आयु वयस्क
कृषक ग्राम जाजना, तहसील रेहटी नि.ग्रा. मेहता गांव तह. रेहटी
जिला–सीहोर म.प्र.......................................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

हरिशंकर आ.चिरोंजीलाल निवासी व
कृषक ग्राम जाजना, तहसील रेहटी
जिला–सीहोर म.प्र.......................................प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13/11/2009 जो प्रकरण क्रमांक 13अ–12/2008–09 में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रेहटी द्वारा पारित किया गया।

श्री विजेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा आज दि० 16/10/14 को प्रस्तुत।

16/10/14
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता ने ग्राम जाजना स्थित भूमि खसरा नं.86, 90, 91, 92, 251/95, 266/90, 89, 101, 102, 103, 110, 111/1, 255/100, 265/88 कुल रकबा 55.74 एकड़ का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ तहसीलदार महोदय रेहटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 20/05/2009 को सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया।

3-11-14

2. यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आदेश के पालन में दिनांक 13/11/2009 को सीमांकन किया जाना बतलाते हुए अपना प्रतिवेदन पंचनामा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3700-III/14 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रेहटी जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-11-2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रेहटी जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । राज अध्यक्ष	